



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3567]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 10, 2018/भाद्र 19, 1940

No. 3567]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 10, 2018/BHADRA 19, 1940

## सङ्केत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2018

**का.आ. 4714(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं.का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

अनुसूची में, क्रम सं. 525 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

## सारणी

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
525	754के	राजस्थान राज्य में संगरिया के निकट नए रारा-54 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर हनुमानगढ़, सूरतगढ़, लूनकारासर, बीकानेर, जोधपुर थोव, पचपादरा, वालोतरा, संचोड, गुजरात राज्य में थरड, वाव, संतालपुर,

	गढ़काबेत, मौवाना, धोलावीरा, खावड़ा, ओदामा, हाजीपुर, गधुली को जोड़ते हुए और लखपत में समाप्त होने वाला राजमार्ग।
--	--

[फा. सं. रारा-14012/12/2016-पी एण्ड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

**पाद टिप्पणी:** राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) में अनुसूची को भारत के राजपत्र, दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और तत्पश्चात इसमें संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 4203(अ), दिनांकित 29.08.2018 द्वारा किया गया था।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th September, 2018

**S.O. 4714(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) vide number S.O. 689(E) dated the 4<sup>th</sup> April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 525 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

**TABLE**

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
525	754K	The highway starting from its junction with new NH-54 near Sangariya connecting Hanumangarh, Suratgarh, Loonkarasar, Bikaner, Jodhpur, Thob, Pachpadra, Balotra, Sanchore in the state of Rajasthan, Tharad, Vav ,Santalpur, Gadkabet, Mauvana, Dholavira, Khavada, Odama, Hajipur, Gadhuli and terminating at Lakhpat in the state of Gujarat.

[F. No. NH-14012/12/2016-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

**Footnote:**—The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4<sup>th</sup> April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4<sup>th</sup> April, 2011 and subsequently amended vide notification no. 4203 dated 29.08.2018.